



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

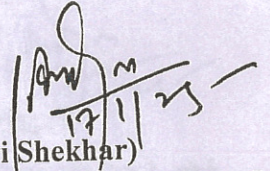
Office Order No. 09 of 2025

Sub.: Reporting System of Centralised Training Institutes (CTIs).

In supersession of the Office Order No. 35 of 2023, the revised reporting system of Centralised Training Institutes is as follows:

- (a) Heads of Centralised Training Institutes (CTIs) will report to DG/HR, Railway Board in Administrative Matters.
 - (b) For the Technical Matters, Heads of CTIs will administratively report to the respective Board Members.
2. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2023/O&M/8/2
Dated: 17.01.2025


(Ravi Shekhar)
JS (Deputation)/Railway Board
Email id: ravi.shekhar1@gov.in
Tele No.: 011-47845558

CRB&CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/T&RS
DG/HR, DG/RPF, DG/RHS, DG/Safety
All AMs/ADGS/PEDS
ED/Training, Establishment Officer (EO)

Copy to:-

DG/NAIR, DG/RDSO
Directors/IRICEN, IRISSET, IRIMEE, IRIEEN, IRITM, JR RPFA, IRIFM
GMs/All Indian Railways/PUs

Copy for information to:-

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

Room No. 152-J, 1st Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2025 का कार्यलय आदेश सं. 09

विषय: केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था।

2023 के कार्यालय आदेश सं. 35 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की संशोधित रिपोर्टिंग व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

- (क) प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख, महानिदेशक/मानव संसाधन रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।
- (ख) तकनीकी मामलों के लिए, केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख प्रशासनिक रूप से, संबंधित बोर्ड सदस्यों को रिपोर्ट करेंगे।
2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सं. 2023/ओएंडएम/8/2

दिनांक: 17.01.2025

(रवि शेखर)

संयुक्त सचिव/(प्रतिनियुक्ति)/रेलवे बोर्ड
ई मेल आईडी: ravishekhar1@gov.in

टेली सं. 011-47845558

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, महानिदेशक/संरक्षा, सभी अपर सदस्य/अपर महानिदेशक/प्रधान कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक/प्रशिक्षण, स्थापना अधिकारी(ईओ)

प्रतिलिपि प्रेषित:

महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, महानिदेशक/अ.अ.मा.सं.

निदेशक/ईरिसेन, ईरिसेट, ईरिमी, ईरीन, आईआरआईटीएम, जेआर आरपीएफए, आईआरआईएफएम
महाप्रबंधक/सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री(आर), संयुक्त सचिव जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)।